

धारा 120 : कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना

- (1) बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर आदेशों या अनुदेशों या निदेशों को जारी करके, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के विनियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी धनीय सीमाओं को नियत कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे।
 - (2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया है, वहां यह केन्द्रीय कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वर्तित समान या समतुल्य विवादक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।
 - (3) इस तथ्य के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति, जो अपील में या आवेदन में पक्षकार है, यह दलील नहीं देगा कि किसी अपील या आवेदन को फाइल न करके केन्द्रीय कर का अधिकारी विवादित विवादक पर विनिश्चय से उपमत हुआ है।
 - (4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।
-